सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

RECOVERY OF LIQUOR

प्रेस नोट- दिनांक 26.12.2024

अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 01 शराब तस्कर को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 550 बोतल अंग्रेजी शराब (ओल्ड मॉन्क) (अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये), शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 पोलो TDI कार (अनुमानित कीमत 10 लाख रूपये) की गयी बरामद।

(कुल अनुमानित कीमत 13 लाख रूपये) ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों की तस्करी,परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में आज दिनांक 26.12.2024 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत सैनिक ढाबा बरालोकपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि **01 दिल्ली नम्बर की पोलो TDI कार चौपला फ्लाईओवर के पास खड़ी है जिसमें अवैध शराब भरी है।** सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा 01 लाल रंग की पोलो TDI कार को चालक सहित **चौपला फ्लाईओवर के पास से** समय करीब **10.59 बजे सुबह गिरफ्तार** किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये कार की तलाशी ली गयी तो कार से कुल 550 बोतल अंग्रेजी शराब ओल्ड मॉन्क कम्पनी की बरामद की गयी जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर चालक द्वारा बताया गया कि इस शराब को मैं और मेरे साथी मनोज व रिंकू बिहार लेकर जा रहे थे और बताया कि हम लोग दिल्ली से सस्ते दामों शराब खरीदकर बिहार में अधिक दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध मे थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 138/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मोहन उर्फ मोनू शर्मा पुत्र जय भगवान निवासी ग्राम निरजन थाना सिविल लाइन जनपद **जिन्द हरियाणा उम्र 31 वर्ष।**

बरामदगी-

1. 550 बोतल शराब **(ओल्ड मॉन्क)**
2. 01 कार संख्या (**DL10CC2210**) पोलो TDI कार
3. 02 कूटरचित नम्बर प्लेट
4. 02 आधार कार्ड
5. 01 ड्राइविंग लाइसेन्स
6. 01 पैन कार्ड

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 138/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना चौबिया जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- श्री पहुप सिंह क्षेत्राधिकारी सैफई, श्री सच्चिदानन्द सिंह (प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी), उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 दर्शन सिंह, उ0नि0 मुकुन्द लाल, का0 विवेक कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 रिपुदमन, का0 चालक देवेश कुमार।